



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 / 14 चैत्र, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2025

संख्या : एफ०डी०एस०-ए(3)-1/2022.—विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2014 के प्रारूप को इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0-(3)-1/2022, तारीख 28 अक्टूबर, 2024 द्वारा 04-राजपत्र/2025-04-04-2025 (141)

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 53 की उप-धारा (04) की अपेक्षानुसार इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए, राजपत्र असाधारण, हिमाचल प्रदेश में तारीख 06 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित किए गए थे:

और नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के परामर्श से हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची-9.**—हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, की अनुसूची-9 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थातः—

अनुसूची -9
(नियम 8 और 10 देखें)

बाटों, मापों और तोल तथा माप के उपकरणों के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीस

1. (क) बुलियन बाटः

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
10 कि० ग्रा०	60.00
5 कि० ग्रा०	40.00
2 कि० ग्रा०.	40.00
1 कि० ग्रा०	40.00
500 ग्रा०	30.00
200 ग्रा०	30.00
100 ग्रा०	30.00
50 ग्रा०	30.00
20 ग्रा०	30.00
10 ग्रा०	30.00
5 ग्रा०	30.00
2 ग्रा०	30.00
1 ग्रा०	30.00

(ख) कैरेट बाटः

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
100 ग्रा० (500 कैरेट)	40.00
40 ग्रा० (200 कैरेट)	40.00
20 ग्रा० (100 कैरेट)	40.00
10 ग्रा० (50 कैरेट)	40.00
4 ग्रा० (20 कैरेट)	40.00

2 ग्रा० (10 कैरेट)	40.00
1 ग्रा० (5 कैरेट)	40.00
400 मि० ग्रा० (2 कैरेट)	40.00
200 मि० ग्रा० (1 कैरेट)	40.00
100 मि० ग्रा० (0.5 कैरेट)	40.00
40 मि० ग्रा० (0.02 कैरेट)	40.00
20 मि० ग्रा० (0.01 कैरेट)	40.00
10 मि० ग्रा० (0.05 कैरेट)	40.00
4 मि० ग्रा० (0.02 कैरेट)	40.00
2 मि० ग्रा० (0.01 कैरेट)	40.00
1 मि० ग्रा० (0.005 कैरेट)	40.00

(ग) सिलिन्ड्रिकल नॉब टाइप बाट:

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
10 कि० ग्रा०	40.00
5 कि० ग्रा०	40.00
2 कि० ग्रा०	30.00
1 कि० ग्रा०	20.00
500 ग्रा०	10.00
200 ग्रा०	10.00
100 ग्रा०	10.00
50 ग्रा०	10.00
20 ग्रा०	10.00
10 ग्रा०	10.00
5 ग्रा०	10.00
2 ग्रा०	10.00
1 ग्रा०	10.00

(घ) चादरी धातु बाट (बुलियन से भिन्न):

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
500 ग्रा०	10.00
200 ग्रा०	10.00
100 ग्रा०	10.00
50 ग्रा०	10.00
20 ग्रा०	10.00
10 ग्रा०	10.00
5 ग्रा०	10.00
2 ग्रा०	10.00
1 ग्रा०	10.00

(ङ) आयरन हेक्सागोनल नॉब टाईप और पैरेलेलोपाइपिड लौह बाट:

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
50 कि० ग्रा०	50.00
20 कि० ग्रा०	40.00
10 कि० ग्रा०	40.00
5 कि० ग्रा०	40.00
2 कि० ग्रा०	30.00
1 कि० ग्रा०	20.00
500 ग्रा०	10.00
200 ग्रा०	10.00
100 ग्रा०	10.00
50 ग्रा०	10.00
20 ग्रा०	10.00
10 ग्रा०	10.00
5 ग्रा०	10.00
2 ग्रा०	10.00
1 ग्रा०	10.00

(च) उच्च क्षमता की तुलाई मशीन की जांच के लिए मानक बाट:

अभिधान	अधिकतम अनुज्ञेय साक्षेप त्रुटि 0.5/10000 के तत्समान फीस रूपए में	अधिकतम अनुज्ञेय साक्षेप त्रुटि 3.3/10000, 1.7/10000 और 1.0/10000 के तत्समान फीस रूपए में .
100 कि० ग्रा०	75.00	50.00
200 कि० ग्रा०	150.00	100.00
500 कि० ग्रा०	300.00	200.00
1000 कि० ग्रा०	750.00	500.00
2000 कि० ग्रा०	1500.00	1000.00
5000 कि० ग्रा०	3000.00	2000.00

2. क्षमता माप :

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
100 लीटर और इससे अधिक	प्रथम 100 लीटर प्लस के लिए 50.00 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 7 रूपए अधिकतम 5000 रूपए के अध्यक्षीन
50 लीटर	100.00
20 लीटर	40.00
10 लीटर	40.00
5 लीटर	20.00
2 लीटर	20.00
1 लीटर	20.00
500 मि० ली०	20.00
200 मि० ली०	20.00

100 मि० ली०	20.00
50 मि० ली०	20.00
20 मि० ली०	20.00
10 मि० ली०	20.00
5 मि० ली०	20.00
2 मि० ली०	20.00
1 मि० ली०	20.00

3. लम्बाई माप:

(क) अनम्य:

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
2 मीटर	20.00
1 मीटर	20.00
0.5 मीटर	40.00
1 मीटर ग्रैजुएटेड (प्रत्येक सेंटीमीटर पर)	40.00
0.5 मीटर ग्रैजुएटेड (प्रत्येक सेंटीमीटर पर)	40.00

(ख) प्लास्टिक का बना /बुना हुआ/स्टील फीता:

शुद्धता वर्ग	प्रति मीटर फीस (रूपए में)
वर्ग - I	2.00
वर्ग -II	2.00
वर्ग -III	1.00

(ग) फोल्डिंग स्केल:

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
1 मीटर	20.00
0.5 मीटर	20.00

(घ) सर्वेक्षण चैन :

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
30 मीटर	200.00
20 मीटर	200.00

4. बीम स्केल वर्ग क और ख :

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
200 कि० ग्रा०	800.00
100 कि० ग्रा०	600.00
50 कि० ग्रा०	300.00
20 कि० ग्रा०	300.00
10 कि० ग्रा०	300.00
5 कि० ग्रा०	200.00
2 कि० ग्रा०	200.00
1 कि० ग्रा०	200.00
500 ग्रा० और उससे कम	120.00

5. बीम स्केल वर्ग ग और घ :

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
1000 कि० ग्रा०	400.00
500 कि० ग्रा०	400.00
300 कि० ग्रा०	400.00
200 कि० ग्रा०	200.00
100 कि० ग्रा०	200.00
50 कि० ग्रा०	40.00
20 कि० ग्रा०	40.00
10 कि० ग्रा०	40.00
5 कि० ग्रा०	30.00
2 कि० ग्रा०	30.00
1 कि० ग्रा०	30.00
500 ग्रा० और उससे कम	20.00

6. गैर-स्वचालित तोल उपकरण- यांत्रिक (एनालॉग) वर्ग III और IV :

अभिधान	प्रति पीस फीस (रूपए)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00

150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1500 कि० ग्रा०	300.00
1000 कि० ग्रा०	300.00
500 कि० ग्रा०	300.00
300 कि० ग्रा०	200.00
250 कि० ग्रा०	200.00
200 कि० ग्रा०	100.00
100 कि० ग्रा०	100.00
50 कि० ग्रा०	100.00
30 कि० ग्रा०	100.00
25 कि० ग्रा०	100.00
20 कि० ग्रा०	60.00
15 कि० ग्रा०	60.00
10 कि० ग्रा०	30.00
5 कि० ग्रा०	30.00
3 कि० ग्रा०	30.00
2 कि० ग्रा०	30.00
1 कि० ग्रा०	30.00
500 ग्रा० और उससे कम	15.00

7. गैर-स्वचालित तोल उपकरण- इलेक्ट्रॉनिक वर्ग-III और IV :

अभिधान	प्रति पीस उपकरण फीस (रूपए)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00

50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	1000.00
3 टन	500.00
2 टन	500.00
1500 कि० ग्रा०	250.00
1000 कि० ग्रा०	250.00
500 कि० ग्रा०	250.00
300 कि० ग्रा०	200.00
250 कि० ग्रा०	200.00
200 कि० ग्रा०	200.00
150 कि० ग्रा०	200.00
100 कि० ग्रा०	200.00
50 कि० ग्रा०	200.00
30 कि० ग्रा०	200.00
25 कि० ग्रा०	200.00
20 कि० ग्रा०	100.00
15 कि० ग्रा०	100.00
10 कि० ग्रा०	100.00
5 कि० ग्रा०	100.00
3 कि० ग्रा०	100.00
2 कि० ग्रा०	100.00
1 कि० ग्रा०	100.00
500 ग्रा० और उससे कम	100.00

8. (i) गैर-स्वचालित तोल उपकरण- यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों वर्ग-I और II :

क्षमता (1)	फीस (रु०) (2)
50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि० ग्रा० से अधिक	500.00
50 कि० ग्रा० से अनधिक किन्तु 10 कि० ग्रा० से अधिक	250.00
10 कि० ग्रा० से अनधिक	200.00

8. (ii) स्वचालित तोल उपकरण :

क्षमता (1)	फीस (रु०) (2)
100 टन से अधिक	4000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि० ग्रा० से अधिक	500.00
50 कि० ग्रा० से अनधिक किन्तु 10 कि० ग्रा० से अधिक	250.00
10 कि० ग्रा० से अनधिक	200.00

9. आयतनी मापक उपकरण:

(क) डिस्पेंसिंग पम्प, प्रति पम्प : रु० 1500.00 प्रति इकाई

(ख) योगकरण काउंटर : रु० 750.00 प्रति इकाई

(ग) अन्य उपकरण:

क्षमता (1)	फीस (रु०) (2)
100 लीटर से अधिक	प्रथम 100 लीटर के लिए 500.00 रूपए और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 लीटर या उसके भाग के लिए 250.00 रूपए.
100 लीटर से अनधिक किन्तु 50 लीटर से अधिक	500.00
50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक	250.00
20 लीटर से अनधिक	200.00

10. फलोमीटर:

बहाव गति (फलोरेट) 100 लीटर/मिनट तक 2000.00 रु०

बहाव गति (फलोरेट) 100 लीटर/मिनट से अधिक किन्तु 500 लीटर/मिनट तक 3000.00 रु०

बहाव गति (फलोरेट) 500 लीटर /मिनट से अधिक 5000.00 रु०

11. रेखीय मापक उपकरण:

टैक्सी, ऑटो रिक्शा मीटर 100 रु०

अन्य मीटर	प्रथम 1000 मीटर या उसके भाग के लिए 50.00 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 मीटर या उसके भाग के लिए 5.00 रुपए।
12. डाक्टरी थर्मामीटर	1.00 रुपए प्रति इकाई
13. पानी का मीटर	25 रुपए प्रति इकाई
14. पैग मापक रू	

30 मि० ली०	50.00
60 मि० ली०	50.00
100 मि० ली०	50.00

15. सी० एन० जी डिस्पेंसर :	3000 रुपए प्रति इकाई
16. एल० पी० जी डिस्पेंसर :	3000 रुपए प्रति इकाई
17. (i) 10 कि० ग्रा० तक कि क्षमता वाली काउंटर मशीन	60 रुपए प्रति इकाई
(ii) 10 कि०ग्रा० से अधिक तक कि क्षमता वाली काउंटर मशीन	100 रुपए प्रति इकाई

उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची -11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"अनुसूची-11"

(नियम 20 देखें)

विभिन्न अपराधों के लिए प्रशमन फीस

क्रम संख्या	धारा और अपराध की प्रकृति	शास्तिक धारा	प्रशमन फीस
1.	धारा 8 (3) मानक बाट, माप या गणना से भिन्न मानक बाट, माप या गणना का उपयोग करना	25. अमानक बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति	प्रथम अपराध : (i) फेरीवालों/अस्थायी के लिए रु० 500 (ii) खुदरा विक्रेता—रु० 5000 (iii) थोक विक्रेता - रु० 10000 (iv) निर्माता - रु० 25000 (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी / भण्डारण डिपो आदि - रु० 50000

			(vi) अन्य (सरकारी संगठन / पी एस यू /सहकारी समितियां /बैंक आदि) रु०25000
2.	धारा 8 (4) मानकों के समनुरूप बाट या माप का विनिर्माण इत्यादि करना	27. अमानक बाट या माप के विनिर्माण या विक्रय के लिए शास्ति	प्रथम अपराध व्यौहारी /वितरक/विक्रेता - रु०50000 निर्माता - रु०100,000
3.	धारा 10. किसी माल, माल के वर्ग अथवा वचनबंध के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा ऐसे बाट, माप या अंक द्वारा की जाएगी, जो विहित किया जाए।	28. विहित मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करने के लिए शास्ति	प्रथम अपराध (i) फेरीवालों /अस्थायी के लिए - रु०500 (ii) खुदरा व्यापारी - रु०5000 (iii) थोक व्यापारी- रु०10000 (iv)निर्माता - रु०25000 (v)पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि) - रु०50000 (vi) अन्य (सरकारी संगठन /पी एस यू / सहकारी समितियां /बैंक आदि)- रु०25000/-
4.	धारा 11. बाट, माप या गणना की मानक इकाइयों के अनुसार से अन्यथा, मूल्य या मूल्य में परिवर्तन की सूची उत्कथित, या घोषित करना या जारी या प्रदर्शित करना।	29. अमानक इकाइयों को कोट (उद्धृत) करने या प्रकाशित करने आदि के लिए शास्ति।	प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फेरीवालों)/अस्थायी के लिए - रु०500 (ii) खुदरा व्यापारी - रु०5000 (iii) थोक व्यापारी- रु०10000 (iv)निर्माता -रु०25000 (v)पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि) - रु०50000 (vi) अन्य (सरकारी संगठन /पी एस यू/सहकारी समितियां/ बैंक आदि)- रु०25000/-
5.	धारा 12. किसी भी प्रकार की कोई रूढ़ि,	30. मानक बाट या माप के उल्लंघन में संव्यवहारी के	प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फेरीवालों)/अस्थायी

	प्रथा, व्यवहार, पद्धति जो किसी वस्तु, चीज या सेवा से सम्बंधित संविदा या अन्य करार में तोल, माप या संख्या द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम की उक्त वस्तु, चीज की मात्रा या सेवा की मांग करना, प्राप्त करना अथवा मांग करवाना या प्राप्त करवाने की अनुज्ञा देती है, बारे।	लिए शास्ति।	के लिए - रु० 1000 (ii) खुदरा व्यापारी - रु० 5000 (iii) थोक व्यापारी- रु० 5000 (iv) निर्माता - रु० 5000 (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि) - रु० 10000 (vi) अन्य (सरकारी संगठन/ पीएसयू/ सहकारी समितियां/बैंक आदि)- रु० 10000/-
6.	धारा 17. विनिर्माता, ब्यौहारी या मरम्मतकर्ता द्वारा अभिलेखों या रजिस्ट्रों का रखा जाना और मांग करने पर बाट, माप दस्तावेज, रजिस्टर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना .	31. दस्तावेजों, आदि के पेश न किये जाने के लिए शास्ति	प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फेरीवालों)/अस्थायी के लिए - रु० 500 (ii) खुदरा व्यापारी - रु० 5000 (iii) थोक व्यापारी- रु० 10000 (iv) निर्माता - रु० 25000 (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि) - रु० 25000 (vi) अन्य (सरकारी संगठन /पी एस यू/सहकारी समितियां / बैंक आदि)- रु० 25000
7.	धारा 18 (1) पूर्व पैक की गई वस्तुओं चाहे वह विनिर्मात, पैक, विक्रित, आयात, वितरित, परिदत्त, प्रस्थापित, अभिदर्शित हों के सम्बन्ध में घोषणाओं	36 (1) अमानक पैकजों का विक्रय आदि करने के लिए शास्ति।	यदि प्रशमन के लिए आवेदन खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं ब्यौहारी द्वारा किया जाता है तो रु० 5000/- यदि प्रशमन के लिए आवेदन निर्माता या आयातकों द्वारा किया जाता है तो रु० 25000/-

	की अनुपालना करना ।		
8.	धारा 36 (2) पूर्वत पैक की गई वस्तु की अपेक्षित शुद्ध मात्रा की अनुपालना बारे चाहे वह विनिर्मित एवं आयतित अथवा पैक की गई हों .	36 (2)निर्माता द्वारा किसी वस्तु को शुद्ध मात्रा से कम डिब्बा बंद करने पर शास्ति	यदि प्रशमन के लिए आवेदन खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं द्वारा किया जाता है तो 10,000 रूपए । यदि प्रशमन के लिए आवेदन निर्माता या आयातकों द्वारा किया जाता है तो 50,000 रूपए .

9.	धारा 23 बिना अनुज्ञप्ति के बाट या माप का विनिर्माण रखने के लिए शास्ति ।	45 अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप के विनिर्माण के लिए शास्ति ।	10000 रूपये
10.	धारा 23. कोई भी व्यक्ति किसी बाट या माप का विनिर्माण मुरम्मत या विक्रय करना अथवा विक्रय के लिए प्रस्थापित अभिदर्शीत या मरम्मत या विक्रय के लिए कब्जे में तब तक नहीं रखेगा जब तक कि वह नियंत्रक द्वारा जारी अनुज्ञप्ति नहीं रखता है ।	46 अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप की मुरम्मत विक्रय आदि के लिए शास्ति ।	5000 रूपये
11.	धारा 24 संव्यवहार या सुरक्षा में सत्यापित बाट या माप का उपयोग करना ।	33 असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति ।	प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फेरीवालों)/अस्थायी के लिए - 500 रूपए (ii) खुदरा व्यापारी - 5000 रूपए (iii) थोक व्यापारी- 10000 रूपए (iv) निर्माता -25000 रूपए (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि) - 25000 रूपए

			(vi) अन्य (सरकारी संगठन/ पीएसयू/ सहकारी समितियां/बैंक आदि)- 25000/- रूपए
12.	धारा 33 असत्यापित बाट या माप के विक्रय के लिए शास्ति ।	33 असत्यापित बाट या माप के विक्रय के लिए शास्ति ।	10,000 रूपए
13.	धारा 34 अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं आदि के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति ।	34 अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं आदि के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति ।	प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फेरीवालों)/अस्थायी के लिए - 500 रूपए (ii) खुदरा व्यापारी - 5000 रूपए (iii) थोक व्यापारी- 10000 रूपए (iv) निर्माता -25000 रूपए (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंकलॉरी /भण्डारण डिपो आदि) - 25000 रूपए (vi) अन्य(सरकारी संगठन/ पीएसयू/सहकारी समितियां/बैंक आदि)- 25000 रूपए
14.	धारा 35 अमानक बाट, माप द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए शास्ति ।	35 अमानक बाट, माप द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए शास्ति ।	प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फेरीवालों)/अस्थायी के लिए - 500 रूपए (ii) खुदरा व्यापारी - 5000 रूपए (iii) थोक व्यापारी- 10000 रूपए (iv) निर्माता -25000 रूपए (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी/ भण्डारण डिपो आदि) - 25000 रूपए (vi) अन्य (सरकारी संगठन/ पीएसयू/ सहकारी

			समितियां/ बैंक आदि)- रूपए 25000/-
15.	धारा 41. मिथ्या/गलत सूचना या मिथ्या विवरण देने पर शास्ति ।	41. मिथ्या सूचना या मिथ्या विवरण देने पर शास्ति ।	प्रथम अपराध (i) हॉकर्स (फेरीवालों)/अस्थायी के लिए - 500 रूपए (ii) खुदरा व्यापारी - 5000 रूपए (iii) थोक व्यापारी- 10000 रूपए (iv) निर्माता -25000 रूपए (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें /टैंक लॉरी /भण्डारण डिपो आदि) - 25000 रूपए (vi) अन्य (सरकारी संगठन/ पीएसयू / सहकारी समितियां / बैंक आदि)- 25000 रूपए
16.	धारा 47 अनुज्ञप्ति से छेड़छाड़ के लिए शास्ति ।	47. अनुज्ञप्ति से छेड़छाड़ के लिए शास्ति ।	5000 रूपए
17.	धारा 53 (3) अधिनियम के अधीन बनाये गए किसी नियम के उपबन्ध ।	हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।	1000 रूपए

आदेश द्वारा,
(आर0डी नजीम)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
खा0ना0आ0 एवं उ0मा0

[Authoritative English text of the Government notification number FDS-A (3)-1/2022, dated 24-03-2025, Shimla-171 002 as required under Clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2025

No. FDS-A (3)-1/2022.—Whereas the draft Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 06-11-2024 as

required under sub-section(4) of Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act 1 of 2010) *vide* this departments notification No. FDS A(3)-1/2022, dated 28-10-2024 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby ;

And now whereas ‘no objection or suggestion’ has been received within stipulated period.

Now therefore, in exercise of powers conferred by Section 53 of the Act *ibid*, Governor of Himachal Pradesh after consultation with the Government of India is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2011, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Substitution of Schedule IX.—In the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, hereinafter referred to as the ‘said rules’ for Schedule-IX the following shall be substituted, namely:—

Schedule-IX

[See rules 8 and 10]

FEE PAYABLE FOR VERIFICATION AND STAMPING OF WEIGHTS AND MEASURES AND WEIGHING AND MEASURING INSTRUMENTS

1. (a) Bullion Weights:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
10 Kg.	60.00
5 Kg.	40.00
2 Kg.	40.00
1 Kg.	40.00
500 g.	30.00
200 g.	30.00
100 g.	30.00
50 g.	30.00
20 g.	30.00
10 g.	30.00
5 g.	30.00
2 g.	30.00
1g	30.00

(b) Carat Weights:

Denomination(1)	Fee per piece (Rs.)
100g (500 c)	40.00
40g (200 c)	40.00
20g (100 c)	40.00
10g (50 c)	40.00
4g (20 c)	40.00
2g (10 c)	40.00
1g (5 c)	40.00
400mg (2 c)	40.00
200mg (1 c)	40.00
100mg (0.5 c)	40.00
40mg (0.02 c)	40.00
20mg (0.01 c)	40.00
10mg (0.05 c)	40.00
4mg (0.02 c)	40.00
2mg (0.01 c)	40.00
1mg (0.005 c)	40.00

(c) Cylindrical knob type weights:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
10 Kg.	40.00
5 Kg.	40.00
2 Kg.	30.00
1 Kg.	20.00
500 g.	10.00
200 g.	10.00
100 g.	10.00
50 g.	10.00
20 g.	10.00
10 g.	10.00
5 g.	10.00
2 g.	10.00
1 g.	10.00

(d) Sheet Metal Weight (other than Bullian):

Denomination	Fee per piece (Rs.)
500 g.	10.00
200 g.	10.00
100 g.	10.00
50 g.	10.00
20 g.	10.00

10 g.	10.00
5 g.	10.00
2 g.	10.00
1 g.	10.00

(e) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weights:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
50 Kg.	50.00
20 Kg.	40.00
10 Kg.	40.00
5 Kg.	40.00
2 Kg.	30.00
1 Kg.	20.00
500 g.	10.00
200 g.	10.00
100 g.	10.00
50 g.	10.00
20 g.	10.00
10 g.	10.00
5 g.	10.00
2 g.	10.00
1 g.	10.00

(f) Standards weights for testing of high capacity weighing machines:

Denominations	Fee corresponding to Max. permissible relative error 0.5/10000 (in Rs.)	Fee corresponding to Max. permissible relative error 3.3/10000, 1.7/10000 and 1.0/10000 (in Rs.)
100kg	75.00	50.00
200kg	150.00	100.00
500kg	300.00	200.00
1000kg	750.00	500.00
2000kg	1500.00	1000.00
5000kg	3000.00	2000.00

2. Capacity Measures:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
100 litre and above	Rs. 50 for the 1st 100 litre plus Rs. 7 for every additional 100 litre or part thereof subject to maximum of Rs. 5000
50 L	100.00
20 L	40.00
10 L	40.00
5 L	20.00
2 L	20.00
1 L	20.00

500 ml	20.00
200 ml	20.00
100 ml	20.00
50 ml	20.00
20 ml	20.00
10 ml	20.00
5 ml	20.00
2 ml	20.00
1 ml	20.00

3. Length Measures:

(a) Non-Flexible:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
2 m.	20.00
1 m.	20.00
0.5 m.	40.00
1 m. graduated (at every cm)	40.00
0.5 m. graduated (at every cm)	40.00

(b) Fabric Plastic/Woven/Steel tapes:

Accuracy Class	Fee per metre (in Rs.)
Class-I	2.00
Class-II	2.00
Class-III	1.00

(c) Folding Scales:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
1 m.	20.00
0.5 m.	20.00

(d) Surveying Chain:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
30 m.	200.00
20 m.	200.00

4. Beam Scale Class A & B:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
200 Kg.	800.00
100 Kg.	600.00
50 Kg.	300.00
20 Kg.	300.00

10 Kg.	300.00
5 Kg.	200.00
2 Kg.	200.00
1 Kg.	200.00
500 g and below	120.00

5. Beam Scale Class C & D:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
1000 Kg.	400.00
500 Kg.	400.00
300 Kg.	400.00
200 Kg.	200.00
100 Kg.	200.00
50 Kg.	40.00
20 Kg.	40.00
10 Kg.	40.00
5 Kg.	30.00
2 Kg.	30.00
1 Kg.	30.00
500 g and below	20.00

6. Non-Automatic Weighing Instruments – Mechanical (Analogue) Class-III and IV:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200 t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	500.00
3 t	400.00
2 t	400.00
1500 Kg	300.00
1000 Kg	300.00
500 Kg	300.00
300 Kg	200.00
250 Kg	200.00
200 Kg	100.00
100 Kg	100.00

50 Kg	100.00
30 Kg	100.00
25 Kg	100.00
20 Kg	60.00
15 Kg	60.00
10 Kg	30.00
5 Kg	30.00
3 Kg	30.00
2 Kg	30.00
1 Kg	30.00
500 g. and below	15.00

7. Non Automatic Weighing Instruments Electronic Class-III and IV:

Denomination	Fee per piece(Rs.)
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200 t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	1000.00
3 t	500.00
2 t	500.00
1500 Kg	250.00
1000 Kg	250.00
500 Kg	250.00
300 Kg	200.00
250 Kg	200.00
200 Kg	200.00
150 Kg	200.00
100 Kg	200.00
50 Kg	200.00
30 Kg	200.00
25 Kg	200.00
20 Kg	100.00
15 Kg	100.00
10 Kg	100.00
5 Kg	100.00
3 Kg	100.00
2 Kg	100.00
1 Kg	100.00

500 g. and below	100.00
------------------	--------

8 (i) Non-Automatic Weighing Instruments both Mechanical and electronics class-I and II:

Capacity	Fee (Rs.)
Exceeding 50 t	3000.00
Not exceed 50t but exceed 10t	2000.00
Not exceed 10t but exceed 1t	1000.00
Not exceed 1t but exceed 50 Kg	500.00
Not exceed 50 Kg but exceed 10 Kg	250.00
Not exceed 10 Kg	200.00

8 (ii) Automatic Weighing Instrument:

Capacity	Fee (Rs.)
Exceeding 100 t	4000.00
Not exceeding 100t but exceeding 50t	3000.00
Not exceeding 50t but exceeding 10t	2000.00
Not exceeding 10t but exceeding 1t	1000.00
Not exceeding 1t but exceeding 50 Kg	500.00
Not exceeding 50Kg but exceeding 10 Kg	250.00
Not exceeding 10 Kg	200.00

9. Volumetric measuring Instruments:

	Fee (Rs)
(a) Dispensing pumps each pump	1500.00 per unit
(b) Totalizing counter	750.00 per unit
(c) Other instruments :	

Capacity	Fee (Rs.)
Exceeding 100 litre	Rs. 500 for the Ist 100 litres plus Rs. 250 for every additional 100 litre or part there of.
Not exceeding 100 litre but exceeding 50 litre	500.00
Not exceeding 50 litre but exceeding 20 litre	250.00
Not exceed 20 litre	200.00

10. Flow meters:

	Fee (Rs.)
Flow rate upto 100 litre/min.	2000.00
Above 100 litre/min upto 500 litre/min.	3000.00
Above 500 litre/min	5000.00

11. Liner Measuring Instruments:

	Fee (Rs.)
Taxi, Auto rickshaw meters	Rs. 100.00
Other meters	Rs. 50 for the 1st 1000m. or part thereof plus Rs. 5.00 for every additional 100m. or part thereof

	Fee (Rs.)
12. Clinical Thermometer	Rs. 1.00 per unit
13. Water meter	Rs. 25.00 per unit

14. Peg measures:

	Fee (Rs.)
30 ml	50.00
60 ml	50.00
100 ml	50.00

		Fee (Rs.)
15.	CNG dispensers	Rs.3000.00 per unit
16.	LPG dispensers	Rs.3000.00 per unit
17.	(i) Counter Machines upto capacity 10 Kg.	Rs. 60
	(ii) Counter Machines above capacity 10 Kg.	Rs.100.0

3. Substitution of Schedule XI.—For Schedule-XI appended to the said Rules, the following shall be substituted, namely:—

Schedule-XI

[See rule 20]

Compounding fees for various offences

Sl. No.	Section and nature of offence	Penal Section	As per proposed Compounding sum
1.	S.8(3) Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration	25. Penalty for use of non-standard weight or measures.	1st offence: (i) For hawkers/ non-permanent- 500 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-50,000.

			(vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-25,000.
2.	S.8 (4) Manufacture etc. of weight or measure only in conformity to standards.	27. Penalty for manufacture etc. or sale of non-standard weight or measure.	1st offence: Dealer -50,000 Manufacturer-1,00,000
3.	S.10 Transaction or dealing or contract in respect of goods etc., by such weight, measure or number as prescribed.	28. Penalty for making any transaction, deal or contract in contravention of the prescribed standards.	1st offence: (i) For hawkers/ non-permanent- 500 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-50,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-25,000.
4.	S.11 Quote or make announcement or issue or exhibit of price list or changing of price only in accordance with standard of weight or measure or numeration.	29. Penalty for quoting or publishing, etc., of non-standard units.	1st offence: (i) For hawkers/ non-permanent- 500 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-50,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-25,000.
5.	S. 12 Demanding or receiving by whatever custom, usage, practice or method any articles thing or service in excess or less than the quantity specified in the contract or agreement.	30. Penalty for transactions in contravention of standard weight or measure.	1st offence: (i) For hawkers/ non permanent- 1,000 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer-5,000 (iv) Manufacturer-5,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank

			Lorries/Storages Depots etc.)-10,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-10,000.
6.	S.17 Maintenance, and production of records, registers by manufacturer, dealer or repairer on demand.	31. Penalty of non maintenance or non production of documents, etc.	1st offence: (i) For hawkers/ non permanent- 500 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-25,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-25,000.
7.	S.18(1) Compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity whether manufactured, packed, sold, imported, distributed, offered, exposed or possessed for sale.	36(1). Penalty for non-standard packages.	Rs.5,000 if the application for compounding is by retailers or wholesaler, dealers. Rs.25,000 if the application for compounding is by Manufacturer or importers.
8.	S.36(2) Compliance of net quantity – requirement of pre-packaged commodity whether manufactured, imported, packed or manufactured.	36(2). Penalty for Packing or importing of packages less in net quantity.	Rs.10,000 if the application for compounding is by retailers or wholesaler dealers. Rs. 50,000 if the application for compounding is by Manufacturer or importers.
9.	S.23 Penalty for manufacturing of weight and measure without license.	45. Penalty for manufacturing of weight and measure without license.	Rs.10,000.00
10.	S.23 No person shall Manufacture/repair or sell or offer, expose or possess for repair or sale, any weight	46. Penalty for repairing, selling, etc., of weight and measure	Rs.5,000

	measure unless he holds a licence issued by the Controller.	without licence.	
11.	S.24 Verification and Stamping of weight or measure.	33. Penalty for use of unverified weight or measure.	1st offence: (i) For hawkers/non-permanent-2,000 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer-5,000 (iv) Manufacturer-5,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-10,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-10,000.
12.	S.33 Penalty for sale of weight or measure without "verification".	33. Penalty for sale of unverified weight and measure.	Rs.10,000.00
13.	S.34 Penalty for sale or delivery of commodities by non-standards weights or measures.	34. Penalty for sale or delivery of commodities, etc., by non-standard weight or measure.	1st offence: (i) For hawkers/ non-permanent- 500 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-25,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-25,000.
14.	S.35 Penalty for rendering service by non-standards weight or measure	35. Penalty for rendering services by non-standard weight, measure or number.	1st offence: (i) For hawkers/non-permanent 500 (ii) Retailer-5,000 (iii) Wholesale dealer -10,000 (iv) Manufacturer-25,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/ Storages Depots

			etc.) -25,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-25,000.
15.	S.41 Penalty for giving false information or false returns.	41. Penalty for giving false information or false return	1st offence: (i) For hawkers/ non permanent- 1,000 (ii) Retailer-2,000 (iii) Wholesale dealer -2,000 (iv) Manufacturer-5,000 (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storages Depots etc.)-5,000. (vi) Others (Government Organizations/PSUs/Co-operative Societies/Banks etc.)-5,000.
16.	S.47 Penalty for tempering with licence	47. Penalty for tempering with licence.	Rs. 5,000.00
17.	S.53(3) Provision of any rule made under the Act	Violation of provisions of any rule of Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rule, 2011.	Rs. 1,000.00

By order,

Sd/-

(R. D. NAZEEM),

Additional Chief Secretary (F, CS & CA).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री पंकज कुमार सुपुत्र श्री तिलक राज, निवासी गांव थनोली, डाकघर होवार, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पंकज कुमार है, जोकि आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व ग्राम पंचायत होवार के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल रांग में गलती से पम्मू दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

Before the Court of Additional District Magistrate, Pooh, District Kinnaur (H.P.)

Public Notice

General Public is hereby informed through this notice that Sh. Sushil Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village & P.O. Pooh, Tehsil Pooh, District Kinnaur, H.P. have filed an application in support of District Registrar-cum-Chief Medical Officer letter No. HFW-KNR (Birth & Death/024-10895-96 dated 12-12-2024 alongwith form Number 10 Non-availability Certificate form concerned Gram Panchayat and School Certificate, affidavits, Aadhar Card copy in this Court for condonation of delay in their registration of birth prior to 08-01-2006. Shri Sushil Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o VPO Pooh, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur, H.P. vide which he has requested to register the date of birth of himself in the Panchayat record of Gram Panchayat Pooh, Tehsil Pooh, District Kinnaur whose date of birth is 08-01-2006 which is not register earlier due to inadvertence.

General Public is hereby informed through this notice that if any person is having any objection regarding the entry of date of birth of Sh. Sushil Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village & P.O. Pooh, Tehsil Pooh, District Kinnaur, H.P. i.e. 08-01-2006 either in writing or through their counsel within a period of thirty days from the date of issue of this notice, if no objection is received from any person regarding the birth of date entry, the same will be entered accordingly.

Issued today on 21-03-2025 under my hand and seal of this court.

Seal.

Sd/-
Addl. District Magistrate,
Pooh, District Kinnaur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री लौहकू राम, निवासी रोपड़ी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अश्वनी कुमार है, जोकि उसके स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत रोपड़ी के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल पाटी, लूणी जोल, हवाणी व रोपड़ी में गलती से रणताज दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

सुनीता देवी सुपुत्री श्री दुनी चन्द, निवासी समसाई, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सुनीता कुमारी है, जोकि उसके स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत परसदा के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल समसाई में गलती से कुमारी सीता दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 21/2025

तारीख मजरूआ : 12-03-2025

तारीख पेशी : 26-04-2025

इन्द्रा देवी पत्नी स्व० श्री नरेश कुमार, निवासी गांव धियूं, डाकघर बीर तुंगल, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

इन्द्रा देवी पत्नी स्व० श्री नरेश कुमार, निवासी गांव धियूं, डाकघर बीर तुंगल, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज में मेरा नाम इन्द्रा देवी है, लेकिन भू-राजस्व में मेरा नाम उर्मिला दर्ज है जिसे मैं दुरुस्त करवाना चाहती हूं जिसे दुरुस्त करने के आदेश राजस्व मुहाल धियूं को दिए जावें।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम इन्द्रा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री नरेश कुमार को मुहाल धियूं में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अससालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 26-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 27-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Tsekho Kyab s/o Sh. Lushi Sang, Village Chocolate House, P.O. Mcleod Ganj, Kangra, District Kangra-176219.

2. Smt. Tenzin Lhadon d/o Sh. Jampa, r/o Q.No. P2/546, Jaral Colony Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Tsekho Kyab s/o Sh. Lushi Sang, Village Chocolate House, P.O. Mcleod Ganj, Kangra, District Kangra-176219 and Smt. Tenzin Lhadon d/o Sh. Jampa, r/o Q.No. P2/546, Jaral Colony Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. at present wife of (Sh. Tsekho Kyab s/o Sh. Lushi Sang, Village Chocolate House, P.O. Mcleod Ganj, Kangra, District Kangra-176219) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-08-2021 according to Budhiest rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22nd day of April, 2025, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st day of February, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 2 / 13(3) of 2024

तारीख मजरूआ : 23-02-2024

तारीख पेशी : 21-04-2025

प्रार्थिया श्रीमती राम देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह और श्रीमती हीरो देवी, निवासी बारथल पाब खूड, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती राम देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह और श्रीमती हीरो देवी, निवासी बारथल पाब खूड, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना जन्म ग्राम पंचायत खूड द्राबिल में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 27-05-1990 को ग्राम पंचायत खूड

द्राबिल में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत खूड द्राबिल में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 21-04-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश हों अन्वथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 22-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Shashi Pal Sharma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Deep Kumar s/o Prem Chand, Village Garsahar, P.O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) aged 33 years old.
2. Mamta d/o Ramasre, Village Kabrai, P.O. Mahoba, District Ambedkar Nagar (UP) aged 20 years old.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Deep Kumar and Mamta have filed an application u/s of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-02-2025. In case no objection is received by 25-02-2025, it will be presumed that there is no objections to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued today on 17-01-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Davinder Kumar Karamvir Bhattia s/o Sh. Karamvir Bhattia, r/o Village Larhoon Khas, P.O. Larhoon, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Davinder Kumar to Davinder Kumar Karamvir Bhattia. Please concerned note.

DAVINDER KUMAR KARAMVIR BHATTIA
*s/o Sh. Karamvir Bhattia,
r/o Village Larhoon Khas, P.O. Larhoon,
Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Sangeeta Kumari w/o Sh. Manjeet Kumar, r/o V.P.O. Takrera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that my daughter's name Mishika Chandel is wrongly recorded in the Aadhar Card 3984 4500 8199 instead correct name Arnika Chandel is correctly recorded in the birth certificate. All concerned note.

SANGEETA KUMARI
*w/o Sh. Manjeet Kumar,
r/o V.P.O. Takrera,
Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ravi Dutt s/o Sh. Leela Dutt, r/o Village Dhab, P.O. Patta, Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.) have changed my minor son's name from Khimander Singh to Sujal.

RAVI DUTT
*s/o Sh. Leela Dutt,
r/o Village Dhab, P.O. Patta,
Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ravi Dutt s/o Sh. Leela Dutt, r/o Village Dhab, P.O. Patta, Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.) have changed my minor son's name from Surmander Singh to Lavish.

RAVI DUTT
*s/o Sh. Leela Dutt,
r/o Village Dhab, P.O. Patta,
Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Vyasani Devi w/o Sh. Bakshi Ram, r/o Village & P.O. Hareta, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.) have changed my name from Vyasani Devi to Biasani Devi.

VYASANI DEVI
w/o Sh. Bakshi Ram,
r/o Village & P.O. Hareta,
Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Karam Devi w/o Late No. JC 35500W Ex. Sub Major Hony Capt. Harnam Singh, r/o V.P.O. Massaur, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that my name wrongly entered as Karmi Devi in my Aadhar Card, instead the correct name is Karam Devi. All concerned note.

KARAM DEVI
w/o Late No. JC 35500W Ex. Sub Major Hony Capt. Harnam Singh,
r/o V.P.O. Massaur, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Salma Parveen w/o Sh. Janak Raj, r/o Village Bhairon, P.O. Gopalpur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declares that I have changed my name from Salma to Salma Parveen for all purposes in future. Please note.

SALMA PARVEEN
w/o Sh. Janak Raj,
r/o Village Bhairon, P.O. Gopalpur,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ritu w/o Sh. Dinesh, residing at Village Karola, P.O. Bour (187), Shimla (H.P.)-171210, declare that I have changed my name from Rita (Previous Name) to Ritu (New Name). All concerned please note.

RITU
w/o Sh. Dinesh,
residing at Village Karola,
P.O. Bour (187), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Reenu Kumar s/o Sh. Om Chand r/o Village Matlag Fald, P.O. Maseran, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Rinku Kumar to Reenu Kumar for all purposes in future. Please note.

REENU KUMAR
s/o Sh. Om Chand
r/o Village Matlag Fald, P.O. Maseran,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, विशाल ठाकुर पुत्र श्री विजय ठाकुर, निवासी गांव व डा0 नगर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) जन-साधारण को सूचित करता हूं कि मैं अपनी बेटी अमिशा ठाकुर का नाम अमिशा ठाकुर से बदल कर प्रियांशा ठाकुर करना चाहता हूं। इसके उपरांत मेरी बेटी प्रियांशा ठाकुर के नाम से जानी जाएगी।

विशाल ठाकुर
पुत्र श्री विजय ठाकुर,
निवासी गांव व डा0 नगर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
DISTRICT KINNAUR AT RECKONG PEO**

NOTIFICATION

Dated, the 29th March, 2025

No. FDS-KNR-LPG/2022/2820-2857.—In succession of the previous Notification No FDS-KNR-LPG/2022-1067-1109, dated 01-07-2022 and in exercise of the powers conferred on me under Clause 9(d) (e) of the L.P.G. (Regulation of Supply and Distribution) order 2000 I, Dr. Amit Kumar Sharma IAS, District Magistrate Kinnaur at Reckong Peo (H.P.) do hereby fix additional labour and transportation rates that may be charged on the delivery of the 14.2 kg. domestic LPG cylinder refills by the various LPG Agencies operating in District Kinnaur on certain specific focal points as amended in the previous notification.

Sl.No	Name of the Focal Points (on the road head)	Additional Transport plus Labour Rate per cylinder (excluding GST)
M/s Kinnaur Kailsh GVK Gas Agency Rarnag IOCL		
1.	Gas Agency Rarang to link road Village Thangi	48 per cylinder
H.P. State Civil Supplies Corporation Gas Agency Pooh IOCL		
2.	Gas Agency Pooh to Lower Kanman Ambulance road	39 per cylinder

All order terms, guidelines and instruction shall remain the same as per the previous notification.

Sd/-
Dr. AMIT KUMAR SHARMA IAS
District Magistrate Kinnaur .